

(23)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या-31/2017

1. विश्वजीत सहारण पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।

-वादी

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
3. स्वाती पुत्री कृष्णकुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री संजय कुमार शर्मा प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक नं. 1 डीपीएम खाता संख्या 14/12 में दर्ज कुल 7.1990 है; भूमि में से प.नं. 194/236 कि.नं. 6 ता 20/3.7950 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। चक नं. 1 डीपीएम खाता संख्या 14/12 में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाकर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 7.6.2017 तक अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 7.6.2017 को राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बशीर में जारी किया गया।

( उम्मेदसिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी